तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **वमुकः पुष्पाबाई बनाम लोक सूचना अधिकारीएंव(अति0जिला कलक्टर धौ0)** **प्रथम अपील (मु0संख्या 34/2022)** **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2022/59)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29.09.2022	अपीलार्थी अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी/रिपोर्ट प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः अपील/आरटीआई./2022/528 दिनांक 27.09.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु दिनांक 28.07.2022 को आवेदन भिजवाया गया था। उक्त आवेदन आवक शाखा के कमांक 8106 दिनांक 02.08.2022 से उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसमें अपीलार्थी द्वारा 22 बिन्दुओं की प्रश्नात्मक सूचना चाही गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु उनके कार्यालय के पत्र कमांक/संपर्क/सूचना अधि./2022/406 दिनाक 03.08.2022 से अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार सूचना के अधिकार के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचनाऐं प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।अतः ऐसी स्थिति में सूचना दिया जाना संभव नहीं है जिसकी पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन खारिज किया गया। अतः हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिन्दु संख्या 01 लगायत 22 की सूचना चाहने हेतु दिनांक 28.07.2022 को आवेदन भिजवाया गया। उक्त आवेदन आवक शाखा के कमांक 8106 दिनांक 02.08.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर के कार्यालय में प्राप्त हुआ। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का	

अवलोकन किया। आवेदन पत्र में चाही गई सूचना प्रश्नात्मक बिन्दु है। राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02 2009 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है। अतः उक्त बिन्दुओं के प्रश्नों का उत्तर दिया जाना संम्भव नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट एवं निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर
धौलपुर